

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 310/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-10.08.2026

थाना-कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡️ UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा में नकल का प्रयास करने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार

➡️ परीक्षा में नकल कराने की साजिश का आजमगढ़ पुलिस ने किया भंडाफोड़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 09.08.2026 को शिब्ली नेशनल इण्टर कॉलेज, आजमगढ़ में आयोजित UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभ्यर्थी की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उसके कान के अंदर छिपाई गई 01 हियरिंग डिवाइस तथा अंडरवियर में छिपाया गया 01 ब्लूटूथ डिवाइस एवं 02 सेल बैटरी बरामद हुईं। पूछताछ में अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में बाहरी व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर नकल करने की योजना के संबंध में जानकारी दी गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही अभ्यर्थी आलोक पटेल पुत्र वंशराज पटेल, निवासी ग्राम भड़ाव, थाना जन्सा, जनपद वाराणसी, उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 09.08.2026 को समय करीब 11:45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-

- 01 हियरिंग डिवाइस
- 01 ब्लूटूथ डिवाइस
- 02 सेल बैटरी

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 414/2026, धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 8, 11(6), 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 एवं धारा 66डी आईटी एक्ट-2008, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सिंह प्रिन्स बीर नायक, का0 नीरज यादव एवं का0 अवधेश गुप्ता, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकल एवं परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-10.08.2026

जनपद-आजमगढ़

- ➡️ ☐ वाराणसी जोन की 29वीं अन्तर्जनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता में आजमगढ़ पुलिस का शानदार प्रदर्शन
- ➡️ ☐ विभिन्न शूटिंग स्पर्धाओं में 05 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर आजमगढ़ पुलिस ने बढ़ाया जिले का गौरव
- ➡️ ☐ सभी शूटिंग प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक अंक अर्जित कर आजमगढ़ पुलिस की टीम ने जीती चल वैजयन्ती शील्ड

वाराणसी जोन की 29वीं अन्तर्जनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता-2026 का आयोजन जनपद मिर्जापुर में दिनांक 04.08.2026 से 07.08.2026 तक किया गया। प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आजमगढ़ पुलिस टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न शूटिंग स्पर्धाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित कर चल वैजयन्ती शील्ड अपने नाम की तथा विभिन्न व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शानदार उपलब्धियां हासिल कर जनपद का गौरव बढ़ाया।

आजमगढ़ पुलिस की प्रमुख उपलब्धियां-

- ☐ महिला आरक्षी शिरीना बानो — 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में प्रथम स्थान।
- ☐ मु0 आ0 निखिल — 100 गज स्टैंडिंग पोजीशन में द्वितीय स्थान।
- ☐ महिला आरक्षी रीमा सिंह — 300 मीटर थ्री पोजीशन बिग बोर में द्वितीय स्थान।
- ☐ आरक्षी अंकित सिंह — 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान।
- ☐ चल वैजयन्ती शील्ड — सभी शूटिंग स्पर्धाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित कर जनपद आजमगढ़ पुलिस टीम विजेता बनी।

इस प्रकार आजमगढ़ पुलिस टीम द्वारा विभिन्न शूटिंग स्पर्धाओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ सर्वाधिक अंक अर्जित कर चल वैजयन्ती शील्ड अपने नाम की गई, जिससे जनपद आजमगढ़ का गौरव बढ़ा।

➡️ ☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाने वाले सभी विजेता पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पुलिसकर्मियों की लगन, अनुशासन, निरंतर अभ्यास एवं उत्कृष्ट खेल भावना का परिणाम है। उन्होंने सभी विजेता प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद आजमगढ़ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

☐ आजमगढ़ पुलिस अपने कर्मियों के व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ खेल एवं शूटिंग जैसी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को निरंतर प्रोत्साहित करती है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-10.08.2026

थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़

- ➡️ □ थाना मुबारकपुर के टॉप-टेन अपराधी एवं अन्तर्जनपदीय शातिर गोतस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
- ➡️ □ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद, आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस का शिकंजा
- ➡️ □ अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी व थाना मुबारकपुर के टॉप-टेन अपराधी पर पुलिस का शिकंजा

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, दिनांक 10.08.2026 को चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ०नि० धर्मेन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग/गश्त एवं अपराधियों की तलाश के दौरान बावन बीघा मैदान, शहीदनगर इस्लामपुरा के पास झाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मौजूद एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान मो० अबू बकर पुत्र महमूद आलम, निवासी पूरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं० 295/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

मो० अबू बकर पुत्र महमूद आलम निवासी-पूरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र-करीब 24 वर्ष

बरामदगी-

- 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त थाना मुबारकपुर का टॉप-टेन अपराधी है तथा उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, महामारी अधिनियम एवं गुण्डा अधिनियम सहित विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं —

- मु०अ०सं० 295/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 373/2020, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद अम्बेडकरनगर।
- मु०अ०सं० 376/2020, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद अम्बेडकरनगर।
- मु०अ०सं० 377/2020, धारा 15 पर्यावरण अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद अम्बेडकरनगर।
- मु०अ०सं० 378/2020, धारा 3 महामारी अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद अम्बेडकरनगर।
- मु०अ०सं० 44/2020, धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद अम्बेडकरनगर।
- मु०अ०सं० NIL/2022, धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा अधिनियम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 295/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर, हे०का० भानु पाण्डेय, का० छोटेलाल, का० कुलदीप थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।